राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.2 / डीडीटी / स्प्रे / 2009 / 324 दिनांक:– 22/04/09

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान .

विषय:– वर्ष 2009 में कीटनाशक डीडीटी के छिडकाव बाबत् दिशा निर्देश।

विषयान्तर्गत वर्ष 2009 में कीटनाशक डीडीटी के छिडकाव कराये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं :–

1. **कीटनाशकों का छिडकाव इस वर्ष रैपसर एक्ट (R.A.P.S.A.R ACT) के तहत मजदूर संविदा के आधार पर नहीं लिये जाकर विभागीय मस्टर रोल के आधार पर सामान्य वित्त एवं लेखा नियम (GF&AR) के नियमानुसार सम्पादित किया जावेगा।**
2. निर्धारित अवधि में छिडकाव कार्य से पूर्व मजदूरों को छिडकाव पूर्ण व अच्छी गुणवत्ता हेतु प्रशिक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ जिला जन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जिला जन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मलेरिया निरीक्षक, खण्ड स्वास्थ्य पर्यवेक्षक,स्वास्थ्य निरीक्षक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता / एमपीडब्ल्यू द्वारा दिया जाये।
3. **छिडकाव कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण दिनांक 15–05–2009 से 31–07–2009 तक तथा द्वितीय चरण दिनांक 01–08–2009 से 15–10–2009 तक**
4. विभाग द्वारा अनुभवी मजदूर को रखा जायेगा और भुगतान नियमानुसार दैनिक न्यूनतम मजदूरी की दर के अनुसार किया जायेगा।
5. छिडकाव कार्य का माईक्रोप्लान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अनुमोदन पश्चात् संबंधित क्षेत्र में कार्यरत संबंधित कर्मचारी यथा जिला जन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मलेरिया निरीक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता / MPW/ANM को दिया जायेगा तथा जिसकी प्रति निदेशालय को भिजवाई जावे।
6. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा छिडकाव कार्य के माईक्रोप्लान के अनुसार स्प्रे से पूर्व आई.ई.सी. गतिविधियां पूर्ण होनी चाहिये ताकि स्प्रे के दौरान कोई भी घर स्प्रे कार्यक्रम से वंचित न रह जावें तथा जिन क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव किया जाना है, तत्संबंधी क्षेत्र में कार्यरत चि.अ. / डी.पी.एच.एस. / एम.आई. / ए.एन.एम. / एल.एच.वी. / स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एच.डब्ल्यू) क्षेत्र के पंचायत राज संस्थानों से संबंधित प्रधान / सरपंच / ग्रामपंच से विस्तृत चर्चा कर क्षेत्र में कीटनाशक के छिड़काव संबंधी जानकारी मीटिंग अथवा घर–घर जाकर कीटनाशक कार्यक्रम की दिनांक से पूर्व कम से कम दो राउण्ड में आई.ई.सी. करेगें ताकि छिड़काव ग्राहयता शत–प्रतिशत कवरेज के साथ हो सके।**
7. विभाग द्वारा जिन क्षेत्रों में कीटनाशक का छिडकाव करवाया जायेगा, उन क्षेत्रों के सरपंच, वार्ड पंच एवं प्रा.स्वा.के. के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सम्पूर्ण स्प्रे प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिडकाव कार्य की निगरानी हेतु नामजद खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को नियुक्त करेगा एवं उसका उत्तरदायित्व होगा कि छिडकाव कार्य शत–प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्वक हो। इस कार्य में शिथिलता एवं कोताही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।

9. कीटनाशक के छिड़काव वाले क्षेत्र में जो कि अत्यधिक संवेदनशील भी है, में कार्यरत चि.अ./डी.पी.एच.एस./एम.आई./ए.एन.एम./एल.एच.वी स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एच.डब्ल्यू) सम्पूर्ण छिड़काव अवधि तक स्प्रे दलों के साथ रहकर शत–प्रतिशत कवरेज करना सुनिश्चित करेगें। उस क्षेत्र में कार्यरत चि.अ./डी.पी.एच.एस./एम.आई./ए.एन.एम./एल.एच.वी./ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिड़काव कार्यक्रम का कम से कम दस प्रतिशत क्षेत्रों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करेगें।
10. कीटनाशक छिड़काव कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा अधिकारी/डी.पी.एच.एस./एम.आई. को छिड़काव के सुपरविजन हेतु किराये का वाहन उपयोग हेतु देवें।
11. *अवधिपार से पूर्व कीटनाशकों को सर्वप्रथम छिड़काव कार्य हेतु उपयोग में लेना सुनिश्चित करें।*
12. छिड़काव कार्यक्रम के दौरान ए.एन.एम./एल.एच.वी./सुपरवाईजरों की उपस्थिति छिड़काव दल के साथ अनिवार्य होगी तथा किसी भी परिस्थिति में कोई कोताही मान्य नही होगी।
13. छिडकाव की गुणवत्ता व पूर्ण छिडकाव प्राप्त करने हेतु जिले में कार्यरत वरिष्ठ जिला जन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जिला जन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मलेरिया निरीक्षक, खण्ड स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता/एमपीडब्ल्यू को उत्तरदायी एवं जवाबदेह बनाया जावे।
14. कीटनाशक छिड़काव का कवरेज कमरों में किये गये छिडकाव को माना जावे।
15. कीटनाशक छिड़काव से मना करने वाले क्षेत्र में पंचायत और राजस्व ऐजेन्सी की मदद लेकर शत–प्रतिशत छिडकाव कार्य पूर्ण होना चाहिये।
16. इन दिशा–निर्देशों की प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों को भिजवावें एवं संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध करावें ।

(डॉ0 बी.आर.मीणा)
अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.2/डीडीटी/स्प्रे/2009/324 दिनांकः–29/04/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज., जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग (ग्रपु–3), राज., जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ... जिला.....
7. चि0अ0 प्रभारी, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,.....जिला..... ।
8. संबंधित कर्मचारी.....को पालनार्थ।
9. कार्यालय प्रति।

(डॉ0 बी.आर.मीणा)
अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर